न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास — श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 64/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भागाराम पुत्र सीतारम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः11.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 88/2013 सरकार बनाम भागाराम में निर्णय दिनांक 04.09.2013 के तहत मौजा खेरवाड के खसरा नं. 179 रकबा 9 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.12.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.01.2018 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अपीलांट के नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 88/13 के फर्द अहकाम दिनांक 14.8.13 से 04.09.13 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 4.12.16 को पटवारी भागाराम के पास आया तथा उसे कहा कि ट्यूबवेल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है तब अपीलांट ने कहा कि ट्यूबवेल लीज पर है। कोई अतिक्रमण नही है। तब पटवारी ने कहा कि आपके विरूद्व पूर्व मे धारा 91 की कार्यवाही चली थी। तब अपीलांट ने कहा कि वह प्रकरण तो निस्तारित हो चुका है। तब पटवारी ने कहा कि आपको उक्त प्रकरण मे दोषी पाया है तथा अब उसमे आगे कार्यवाही करनी है। जिस पर अपीलांट को भी शक हुआ, तब अपीलांट न्यायालय मे गया तथा आदेश की नकले प्राप्त करने पर उसे आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। इस प्रकार अपीलांट व्यथित पक्षकार है और प्रथम बार जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मयाद है। जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–पटवारी ने जो रिपोर्ट दिनांक 26.7.13 को तैयार करना बतायी है। उसमे जो नजरी नक्शा बनाया है। उसमे किसी प्रकार का कोई नाप चोप अंकित नही किया है। इसलिये उसके द्वारा जो 9 बीघा भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है। वह गलत बताया गया है। खसरा नं. 179 पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है। अपीलांट की खातेदारी का खेत गोचर की भूमि के चिपता ही है तथा उसने अपनी खातेदारी की भूमि मे पक्की ढाणी बना रखी है। जहां पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। पटवारी ने गलत आधार पर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही की है। जबकि अपीलांट का गोचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण

अपर कलक्टर, नागौर

नही है। पटवारी ने बिना नाप चोप किये ही गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दी, जो पूर्णतया गलत है। जिस पर नायब तहसीलदार ने उक्त कार्यवाही को समाप्त करने का आश्वासन दिया था। जिसके कारण अपीलांट कभी भी पुनः अधीनस्थ न्यायालय नही गया। किन्तु अपीलांट की पीठ पीछे उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसको धोखे मे रखकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट का गै.मु. गोचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। बल्कि उसकी ढाणी खातेदारी की भूमि मे है। जहां पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। जिसका नाप चोप करने से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। किन्तु पटवारी ने उक्त जायगा का नाप चोप नही किया तथा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने मे भारी कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो गलत है।

{2}(V)–पटवारी के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन मे कोई शपथ पत्र / गवाही भी नही ली गई तथा न ही अपीलांट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त आदेश जैर अपील अवैध है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा खेरवाड में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खेरवाड के खसरा नंबर 179 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर